

रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शाठपठ की गई।
अप्राप्तिगण को कितनी मर्बा आवाजे
दिलायी जाने उपरान्त भी अनुपस्थित,
इन्के विकट एक तरफा कार्यवाही किये
जाने के आदेश दिये जाते हैं वकील प्रार्थिया
में बहस करनी चाही। बहस सुनी गयी।
वास्ते पत्रावली आदेश हेतु नियत दिनांक
16.7.21 को पेश हो।

स्वीकार
शु
जिला

16-7-21

उभय पक्ष ... पीठासी ... जारी राजकीय
कार्य से बाहर है। अवकाश पर है / पदरिक्त है
अतः पत्रावली दिनांक 20.7.21 को पेश हो।

रीडर
उपखण्ड अधिकारी माण्डल

20-7-21

पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा
व्यापिक कार्य स्थगन/बहिष्कार रखने
से पत्रावली दिनांक 20.7 को पेश हो।

27-7-21

पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थिया उपस्थित,
वकील प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया
जाकर निर्णय प्रपत्र से लिखा जाकर शामिल
पत्रावली किया गया। पत्रावली फ़ैसल शु
होकर नम्बर से कम हो।



उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी-डॉ पूजा सकसैना, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या - 06/21 प्रा.पत्र

1- श्रीमती कमला देवी पं० श्री लाडुलाल गील निवासी रागपुरिया तहसील खेड़ा

-प्रार्थी

बनाम

1- श्रीमती लक्ष्मी पं० श्री नानू गील निवासी-चेना का खेड़ा तहसील माण्डल (वार्ड) (पृष्ठभूमि प्रा.पत्र संलग्न)

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:- 27.07.21

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम चेना का खेड़ा पटवार हल्का बावलास तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं 656/198 657/198 कुल किता 02 रकबा 1.5176 बीघा हैपटेयर बिस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते / संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 06-01-21 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा-फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए प्रार्थना पत्र की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम चेना का खेड़ा पटवार हल्का बावलास तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं 656/198, 657/198 कुल किता 02 रकबा 1.5176 हैपटेयर बिस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक चाव्दरास को 600/- रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाडा

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाडा